

प्रेस विज्ञप्तिथाना अतरौलियानाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण –

दिनांक 05.05.24 को वादिनी मुकदमा नें थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया कि विपक्षी शकील उर्फ गोरख पुत्र अब्दुल करीम उर्फ डेल्लन सा0 जोलहा टोला कस्बा अतरौलिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष द्वारा वादिनी की 11 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर अपने घर मे ले जाकर अश्लील वीडियो दिखाते हुये गलत काम करने के सम्बन्ध में दिनांक 05.05.2024 को वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 158/24 धारा 376AB, 506 IPC व धारा 5m/6 पाक्सो एक्ट बनाम शकील उर्फ गोरख पुत्र अब्दुल करीम उर्फ डेल्लन सा0 जोलहा टोला कस्बा अतरौलिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत हुआ।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक- 06.05.2024 को थानाध्यक्ष मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबन्धित अभियुक्त शकील उर्फ गोरख पुत्र अब्दुल करीम उर्फ डेल्लन सा0 जोलहा टोला कस्बा अतरौलिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को बस स्टैण्ड अतरौलिया के पास समय 07.45 बजे सुबह हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 158/24 धारा 376AB, 506 IPC व धारा 5m/6 पाक्सो एक्ट थाना अतरौलिया आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1- शकील उर्फ गोरख पुत्र अब्दुल करीम उर्फ डेल्लन सा0 जोलहा टोला कस्बा अतरौलिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. थानाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

थाना- कोतवाली जीयनपुरप्रचलित लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 01 व्यक्ति के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

आज दिनांक 06.05.2024 को प्रचलित लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत प्रभारी स्थायी निगरानी टीम इन्द्रमन भारती फार्मासिस्ट जिला होमियोपैथिक चिकित्सालय सदर आजमगढ़ अपने टीम के साथ उपस्थित थाना स्थानीय पर आकर एक प्रार्थना पत्र दिये कि अपनी स्थायी निगरानी टीम के साथ कस्बा जीयनपुर मुबारकपुर तिराहा पर चेकिंग कर रहे थे कि चेकिंग के दौरान आजमगढ़ की तरफ से आ रही मैजिक न0- UP65GT3xxx जिसपर 03 लाउडस्पीकर व राजनैतिक पार्टी का बैनर लगा हुआ मिला मैजिक के चालक भोला कुमार पुत्र भरत ठठेरा ग्राम- अम्बेडकर नगर सादात जनपद – गाजीपुर चालक प्रचार प्रसार हेतु परमिशन के सम्बन्ध में पूछा गया तो चालक द्वारा बताया गया कि परमिशन नहीं है। बिना अनुमति के चालक द्वारा प्रचार किया जा रहा था जो लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया गया, के सम्बन्ध थाना स्थानीय पर एन.सी.आर. न0- 001/2024 धारा- 171एच. भादवि बनाम मैजिक न0- UP65GT3xxx चालक भोला कुमार पुत्र भरत ठठेरा ग्राम- अम्बेडकर नगर सादात जनपद – गाजीपुर पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना जहानागंज

हत्या के प्रयास में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त बाँस व कुल्हाड़ी बरामद

पूर्व की घटना-

दिनांक- 5.5.24 को वादिनी मुकदमा आलोक सिंह चन्द्रबली सिंह निवासी ग्राम लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ ने थाना जहानागंज पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी 1. विनोद कश्यप पुत्र रामबृक्ष कश्यप, 2. सरेख चौहान पुत्र रामबृक्ष चौहान, 3. नितिन चौहान पुत्र राम प्रवेश चौहान, 4. अजय चौहान मुनीब चौहान, 5. अजित चौहान पुत्र विध्याचल चौहान, 6. जुगनू चौहान अम्मर चौहान, 7. विन्ध्याचल चौहान पुत्र शिवनाथ, 8. विवेक चौहान 9. नरेश चौहान पुत्र राम बृक्ष चौहान समस्त निवासी ग्राम लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ समस्त निवासी ग्राम लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा जान से मारने की नियत से वादी मुकदमा के दरवाजे पर चढ़कर वादी व परिवार के लोगो को मारना पीटना जिससे वादी व वादी के भतीजे मनीष सिंह व रजत सिंह व अन्य परिवारीजन को को गम्भीर चोटे आने से सम्बन्धित थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 213/24 धारा 452/323/504/506/307/308/34 भादवि पंजीकृत है जिसकी विवेचना उ0नि0 ओम प्रकाश यादव के द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

विवेचना से अभि0 हरिनाथ उर्फ रामबृक्ष कश्यप पुत्र सहातिम कश्यप निवासी लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया।

गिरफ्तारी का विवरण:

दिनांक 6.5.24 को प्र0नि0 मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभि0 1. नितिन चौहान पुत्र रामप्रवेश निवासी लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष 2. हरिनाथ उर्फ रामबृक्ष कश्यप पुत्र सहातिम कश्यप निवासी लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 58 वर्ष 3. विनोद कश्यप पुत्र हरिनाथ कश्यप निवासी लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष 4. सरेख चौहान पुत्र रामबृक्ष चौहान निवासी लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष निवासीगण लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0स0 213/24 धारा 452/323/504/506/307/308/34 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी- अभियुक्त नितिन चौहान के निशा देही पर घटना मे प्रयुक्त 2 बाँस का डण्डा, 01 कुल्हाड़ी बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. नितिन चौहान पुत्र रामप्रवेश निवासी लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
2. हरिनाथ उर्फ रामबृक्ष कश्यप पुत्र सहातिम कश्यप निवासी लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
3. विनोद कश्यप पुत्र हरिनाथ कश्यप निवासी लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
4. सरेख चौहान पुत्र रामबृक्ष चौहान निवासी लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास – मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

- 1- प्र0नि0 श्री कृष्ण कुमार गुप्ता मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़
- 2- उ0नि0 श्री ओम प्रकाश यादव थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना जहानागंज

हत्या के प्रयास में 04 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त बाँस व कुल्हाड़ी बरामद

पूर्व की घटना- दिनांक 5.5.24 को वादिनी मुकदमा श्रीमती संगीता चौहान पत्नी सरेख चौहान निवासी ग्राम लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी 1. रजत सिंह पुत्र चन्द्रभान सिंह उम्र 26 वर्ष, 2. कल्पनाथ सिंह पुत्र मातम्बर सिंह, उम्र 45 वर्ष 3. रणजीत सिंह पुत्र कल्पनाथ सिंह, उम्र 46 वर्ष 4. मनीष सिंह पुत्र हरिवंश सिंह, उम्र 27 वर्ष 5. आसु सिंह पुत्र रूदल सिंह, उम्र 22 वर्ष 6. आलोक सिंह पुत्र चन्द्रबली सिंह उम्र 24 वर्ष समस्त निवासी ग्राम लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा जान से मारने की नियत से वादिनी के पति व परिवार के लोगो को मारना पीटना जिससे वादिनी के पति सरेख चौहान व भांजे नितिन को गम्भीर चोटे आने से सम्बन्धित थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 212/24 धारा 323/307/308/34 भादवि पंजीकृत है जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री ओम प्रकाश यादव के द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। विवेचना से अभि0 हरिवंश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह पुत्र चन्द्रबली सिंह का नाम प्रकाश मे आया।

गिरफ्तारी का विवरण: दिनांक 6.5.24 को प्र0नि0 कृष्ण कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. आलोक सिंह पुत्र पुत्र चन्द्रबली निवासी लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज 2. मनीष सिंह पुत्र हरिवंश सिंह निवासी लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ 3. हरिवंश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह निवासी लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ 4. रजत सिंह पुत्र चन्द्रनाथ सिंह निवासी लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0स0 212/24 धारा 323/307/308/34 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़।

बरामदगी- अभियुक्त मनीष सिंह पुत्र हरिवंश सिंह के निशा देही पर घटना मे प्रयुक्त 1 बाँस का डण्डा, 01 राड (सरिया), 01 कुल्हाड़ी बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. आलोक सिंह पुत्र पुत्र चन्द्रबली निवासी लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज
2. मनीष सिंह पुत्र हरिवंश सिंह निवासी लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज आजमगढ़
3. हरिवंश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह निवासी लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
4. रजत सिंह पुत्र चन्द्रनाथ सिंह निवासी लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास – मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम- प्र0नि0 कृष्ण कुमार गुप्ता मय हमराह उ0नि0 ओम प्रकाश यादव थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना- अहरौला

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित/फरार गोतस्कर शातिर अपराधी सलमान की गिरफ्तारी हेतु 50 हजार रूपयें का नकद पुरस्कार घोषित

दिनांक- 06.05.2024 को पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ श्री अखिलेश कुमार द्वारा थाना अहरौला पर मु0अ0सं0- 432/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित/फरार अभियुक्त सलमान पुत्र फिरोज निवासी पीठारपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ की गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर पर 50 हजार रूपयें का नकद पुरस्कार घोषित किया गया है।

दिनांक- 08.03.2023 को तत्कालीन थाना प्रभारी अहरौला मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान शाहपुर के पास से 01 ट्रक पर लदे 05 राशि गोवंश व अवैध असलहा व कारतूस के साथ अभियुक्त दिलशाद पुत्र समसाद निवासी खुरासो चकशाह काफी, थाना फूलपुर आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ में अभियुक्त सलमान पुत्र फिरोज निवासी पीठारपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व तालिब उर्फ मो0 तालिम उर्फ छोटू का नाम प्रकाश में आया था, के सम्बन्ध दिनांक-19.12.2023 को नामजद तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना अहरौला पर मु0अ0सं0- 432/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया, अभियुक्त सलमान के विरुद्ध गोवध. गोतस्करी, हत्या के प्रयास, अवैध असलहा रखने सहित कुल 29 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त सलमान उपरोक्त फरार चल रहा है। जिसके क्रम में दिनांक- 06.05.2024 को पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ श्री अखिलेश कुमार द्वारा थाना अहरौला पर मु0अ0सं0- 432/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित/फरार अभियुक्त सलमान पुत्र फिरोज निवासी पीठारपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ की गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर पर 50 हजार रूपयें का नकद पुरस्कार घोषित किया गया है।